

कार्यालय — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर

क्रमांक : 35

दिनांक : 29.06.2026

कार्यालय आदेश

मैं मनीष कुमार जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) व 450(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह जुलाई 2026 में अग्रवर्णित शासकीय अवकाशों के लिए उदयपुर न्याय-क्षेत्र में स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आवश्यक दायित्व कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड संबंधी कार्य तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे — मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest) व अन्य (जिन्हें अधोहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. के लिए अधिकृत करता हूँ :-

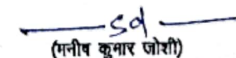
July 2026 Remand Duty			
क्र.सं.	अवकाश की दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन	मोबाईल नंबर
1	05.07.2026	श्रीमती आकांक्षा मीणा, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.6, Udaipur	9714328238
2	11.07.2026	श्रीमती दिव्या शर्मा, A.C.J. & J.M. No.2 (South), Udaipur	8114495199
3	12.07.2026	श्रीमती दिव्या शर्मा, A.C.J. & J.M. No.2 (South), Udaipur	8114495199
4	16.07.2026	सुश्री अक्षिता जैन, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.4, Udaipur	8233894501
5	19.07.2026	श्रीमती गीतिका गर्ग, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.7, Udaipur	8288898437
6	25.07.2026	श्री गजेन्द्र सिंह, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.1, Udaipur	7740988143
7	26.07.2026	श्री गजेन्द्र सिंह, Spl. J.M. (N.I.Cases) No.1, Udaipur	7740988143

नोट : (1) उपर्युक्त वर्णित सारणी के अतिरिक्त, उक्त वर्णित अवकाशों में जिला मुख्यालय, उदयपुर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से संबंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे।

(2) उक्त वर्णित अधिकारीगण अपने रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(3) यदि कोई न्यायिक अधिकारी किसी कारणवश अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है अथवा अवकाश पर रहने/मुख्यालय परित्याग करने की प्रस्तावना करता है तो वह अन्य न्यायिक अधिकारी से उक्त रिमाण्ड ड्यूटी निर्वहन किए जाने का सामंजस्य कर तथा सहमति का अपने पत्र में अंकन करके ही पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(4) उपरोक्त अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्यदिवस को न्यायालय समय पश्चात् समय से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी। रिमाण्ड ड्यूटी के आगामी दिवस पर अवकाश घोषित होने की दशा में उक्त घोषित अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन उक्त दिवस से पूर्व दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित किए जाने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

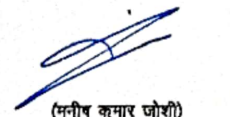

(मनीष कुमार जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : स्था./2026/1008

दिनांक : 29.06.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई-मेल प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक उदयपुर को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमाण्ड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. उदयपुर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय।
4. उप निदेशक, अभियोजन विभाग को एपीपी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. बार एसोसियेशन उदयपुर।


(मनीष कुमार जोशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)